बेरोजगार हों, संलग्न विवरणी में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 184, अनुपत्र संख्या 67]

(ग) नौवीं योजना दृष्टिकोण पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा। इससे बेरोजगार इंजीनियर, स्नातक तथा अन्य डिप्लोमाधारी लाभान्वित होंगे।

श्रम न्यायालय

2206. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के संविधान के अंतर्गत श्रम न्यायालयों को किस-किस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं जिससे श्रम न्याय प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाया जा सके;

(ख) क्या श्रमिकों की बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुये देश के सभी न्यायालयों को और ज्यादा अधिकार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये गुजरात समेत सभी राज्यों में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्य नारायण जटिया) (क) भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय न करने और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिये जो उन्हें अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अधीन श्रम न्यायालयों का गठन किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की द्वितीय अनुसूची, जिसमें श्रम न्यायालय की अधिकारिता के भीतर के मामले शामिल हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. स्थायी आदेशों के तहत किसी नियोक्ता द्वारा जारी किये गये किसी आदेश का स्वाम्य अथवा उसकी वैधता;

2. स्थायी आदेशों की अनुप्रयुक्तता और निर्वचन;

3. कामगार की पदच्युति अथवा बरखास्तगी जिसमें गलत ढंग से बरखास्त किये गये कामगार का पुनर्पदप्रतिष्ठापन या राहत का दिया जाना भी शामिल है;

4. किसी पारम्परिक राहत या सुविधा को वापस लिया जाना;

5. हड़ताल या तालाबंदी का अविधिमान्य या अन्यथा होना;

6. तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य मामले।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार का नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहां जरूरी समझा जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालयों का गठन करने का प्रस्ताव है।

Welfare Schemes for Agricultural Labourers

2207. **DR. JAGANNATH MISHRA:** Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details of the welfare schemes formulated for the agricultural labourers during the last three years;

(b) the financial allocation made by the Union Government for the said schemes during the Eighth Five Year Plan and for the current year; and

(c) the achievements made under the schemes and the number of persons benefited?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) Some of the major schemes undertaken for the welfare of the rural workers including agricultural workers include:—

(i) *Integrated Rural Development Programme (IRDP)*—

Under this scheme, financial assistance is provided for acquiring income generating assets, comprising of varying mix of subsidies and term credit at differential rates for small farmers, marginal farmer, agricultural labourers and rural artisans with special provision for SC/STs and women. Allocation under the scheme for VIIIth Plan was Rs. 6650.00 crores.